समाहरणालय, समस्तीपुर
जिला योजना कार्यालय
(पुर्न निविदा आमंत्रण सूचना)

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत श्री आलोक कुमार मेहता, माननीय स०वि०स० उजियारपुर द्वारा विभिन्न विद्यालयों एवं पुस्तकालयों हेतु वर्ष 2019–20 अन्तर्गत पाँच खाने के स्टील बुकशेल्फ एवं पाँच खाने के स्टील आलमीरा की आपूर्त्ति हेतु दिनांक 26.03.2020 को निविदा आमंत्रित की गई थी। किन्तु सरकार द्वारा लॉक डाउन की घोषणा के कारण निविदा प्राप्त नही हो सका। अनुशंसित पाँच खाने के स्टील बुक सेल्फ एवं पाँच खाने के स्टील आलमीरा के लिए मुहरबंद पुर्ननिविदा आमंत्रित की जाती है। सभी प्रतिष्ठानो/फार्मो एवं उनके प्राधिकृत विक्रेता अनुशंसित सामग्री की आपूर्त्ति हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ तकनीकी एवं वित्तीय निविदा मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक 26.06.2020 को 02:00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर मे जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदा को दिनांक 26.06.2020 को ही अपराह्न ....03:00... बजे उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर की अध्यक्षता में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

माननीय स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित विशिष्टता निम्न प्रकार से निर्धारित की गई है।

क्र.	उपस्कर का नाम एवं प्रकार
1	*2*
1	**स्टील बुकशेल्फ (बुककेश)** मुटाई – 22 गेज ग्लास डोर – 5 पेंट – हीट पेंट (पाउडर कोटेड) कलर – बॉडी– ब्रोकेन व्हाईट डोर – ब्राउन लम्बाई x चौड़ाई x गहराई 2050mm x 840mm x 345 mm
2	**स्टील आलमीरा** मुटाई – डोर 20 गेज बॉडी–22 गेज लॉक – 5 वे हैंडल ऑफ सिस्टम सेल्फ की संख्या – 04 खानो की संख्या– 05 पेंट – हीट पेंट (पाउडर कोटेड) कलर – बॉडी– ब्रोकेन व्हाईट डोर – ब्राउन लम्बाई x चौड़ाई x गहराई 1975mm x 940mm x 500mm

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें :–

1. तकनीकि निविदा में 20,000/– (बीस हजार) रूपया मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य ड्राफ्ट, जो जिला योजना पदाधिकारी, समस्तीपुर के पदनाम से देय एवं समस्तीपुर में भुगतान हो, संलग्न रहना चाहिए।
2. निविदादाता को निबंधित प्रतिष्ठान का प्रमाण–पत्र व संस्था का परिचय संलग्न करना अनिवार्य है।
3. जी.एस.टी. के अंतर्गत निबंधन होने का प्रमाण–पत्र।
4. निविदादाता को अद्यतन आयकर रिटर्न की प्रति एवं पैन कार्ड नं० संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र देना होगा।
6. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें :–

1. वित्तीय निविदा में उपलब्ध सूची के अनुसार सामग्री का नाम एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्तें :–

1. जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर में मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाएगा।

2. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में होना चाहिए।

3. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
4. स्वीकृत आपूर्त्तिकर्त्ता को विपत्रों पर नियमानुसार स्त्रोत पर निर्धारित कर कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
5. कार्यादेश के अनुरूप सभी सामग्रियों की आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन निर्धारित समय सीमा के अंदर चिह्नित विद्यालयों एवं पुस्तकालयों में करना होगा, जिसका उक्त स्थल तक का भाड़ा एजेंसी द्वारा देय होगी। अन्यथा संबंधित फर्म की राशि जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
6. जी.एस.टी. की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
7. विवाद की स्थिति में न्यायालय, समस्तीपुर का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
8. विपत्र का भुगतान गुणवत्ता जाँचोपरांत किया जाएगा।
9. बिना कारण बताए निविदा को स्वीकृति/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. किसी विवाद के स्थिति में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

उप विकास आयुक्त।
समस्तीपुर।